184

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

क्रमांकः मु.अ./अनु.ग्यारह/15–16/डी– 718 दिनांकः 01/01/2016

परिपत्र

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्रांकः डब्ल्यू. आई.I/आई–13015/पी.28/211–15/976 दिनांक 26.11.2015 द्वारा सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर उल्लेखित किया है कि "विगत कुछ माह से मेटेरियल विशेषतः डामर एवं डीजल की दरों में कमी होने के कारण उत्पन्न नेगेटिव एस्केलेशन की वसूली संवेदकों द्वारा एस्केलेशन नहीं माँगने की स्थिति में सा.नि.वि. द्वारा नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार को आर्थिक हानि होना सम्भावित है"।

इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि "सा.नि.वि. द्वारा किसी भी कार्य के फाईनल बिल का भुगतान एस्केलेशन की गणना किये बिना नहीं किया जाना सुनिश्चित करावें"।

अतः निर्देशित किया जाता है कि लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ट-XI के अन्तर्गत "संविदा की शर्तें" के क्लॉज 45 एवं क्लॉज 45(क) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में जिन कार्यो पर मूल्य फेरफार खण्ड (Price Variation Clause) लागू होता हो उन सभी कार्यों में निर्धारित घटकों (मेटेरियल) की दरों में हुई वृद्धि/कमी के आधार पर एस्केलेशन की गणना को प्रभावित करने के पश्चात ही फाइनल बिल का भुगतान संवेदक को किया जाना सुनिश्चित करें। यदि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कार्य के फाइनल बिल मेटेरियल की दरों में वृद्धि/कमी को मध्यनजर रखे बिना भुगतान करने के कारण हुयी वित्तीय अनियमित्ता/हानि के लिए व्यक्तिगत जिम्मेवारी संबन्धित खण्डीय अधिकारी की ही होगी।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि खण्ड कार्यालयों से अनुमोदन हेतु प्राप्त होने वाले ऐसे समस्त प्रकरणों (Excess/Extra items, Final Deviation & Final Time Extension) के साथ कार्य के निर्धारित घटकों (मेटेरियल) की दरों में हुई वृद्धि/कमी के आधार पर समय अवधि (Spanwise) के अनुसार एस्केलेशन की गणना का विवरण की जांच/संलग्न कर इस कार्यालय को भिजवाया जाना भी सुनिश्चित किया जावे।

30-12-15
(जी. एल. राव)
मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

क्रमांकः मु.अ./अनु.ग्यारह/15–16/डी– 718 दिनांकः 01/01/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सहायक मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि., राज., जयपुर।
2. निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस./पथ/यांत्रिक), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि., (समस्त)।
4. तकनीकी सहायक प्रथम/अधीक्षण अभियन्ता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस/यातायात/पथ/बी.ओ.टी./मैकेनिकल), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (समस्त वृत–कार्यालय), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (समस्त), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

(आलोक माथुर)
वित्तीय सलाहकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

D:\Office Work\Word Work\Letter Hindi (New)